"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुमतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 601] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 नवम्बर 2014—कार्तिक 30, शक 1936

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक आर–966/आठ–परि./2014.— मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 200 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–53/दो/आठ–परि/02, रायपुर, दिनांक 1 मई, 2003 (यथा संशोधित) को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, नीचे दी गई सूची में वर्णित सभी अधिकारियों को, उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर कारित तथा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित धाराओं के अधीन दण्डनीय अपराधों का प्रशमन, उक्त अनुसूची के तत्स्थानी कॉलम (3) एवं (4) में वर्णित की गई राशि से करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात्:–

1. परिवहन आयुक्त
2. अपर परिवहन आयुक्त
3. संयुक्त परिवहन आयुक्त
4. उप परिवहन आयुक्त
5. समस्त सहायक परिवहन आयुक्त
6. वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
7. समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
8. समस्त अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
9. समस्त सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी

10. समस्त जिला परिवहन अधिकारी
11. समस्त परिवहन निरीक्षक
12. समस्त परिवहन उप निरीक्षक
13. समस्त सहायक परिवहन उप निरीक्षक
14. समस्त जिला दण्डाधिकारी
15. समस्त अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
16. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी
17. समस्त पुलिस अधीक्षक
18. समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
19. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी एवं नगर पुलिस अधीक्षक
20. समस्त पुलिस थाना प्रभारी
21. समस्त पुलिस निरीक्षक, यातायात शाखा
22. समस्त पुलिस उप निरीक्षक, यातायात शाखा
23. समस्त पुलिस सहायक उप निरीक्षक, यातायात शाखा

अनुसूची

स. क.	मोटर यान अधिनियम 1988 की धाराएं	प्रशमन की रकम रूपये में	
		प्रथम अपराध के लिए	द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती अपराध के लिये, जहाँ लागू हो
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धारा 177 अपराधों के दण्ड के लिये साधारण उपबंध– मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के समस्त अपराध किंतु जो इस अनुसूची में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट नहीं हैं।	200	500
	(क) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 100 के उल्लंघन होने पर मोटरयान में सुरक्षा शीशा के संबंध में ।	2000	3000
	(ख) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 के उल्लंघन होने पर मोटरयान के शीर्ष भाग पर लाल/पीली/नीली/सफेद या बहुरंगी लाईट का अनधिकृत उपयोग।	2000	3000
	(ग) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 119 तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 185 के उप–नियम (3) के उल्लंघन होने पर सायरन/हुटर के अनधिकृत उपयोग के संबंध में।	2000	3000

	(घ) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 129 तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 213 के उल्लंघन होने पर दो पहिया वाहन चालक अथवा उस पर सवार व्यक्ति द्वारा हेलमेट (सुरक्षात्मक हेडगियर) का उपयोग न करने पर ।	500	500
2.	धारा 178 (1)–मंजिली गाड़ी आदि में बिना पास या टिकट के यात्रा करने पर दण्ड ।	500	प्रत्येक बार
3.	धारा 179 (3)–संविदा वाहन चलाने से इंकार करना (क) दोपहिया एवं तिपहिया मोटरयान (ख) अन्य किसी भी प्रकार के मोटरयान।	 100 500	 प्रत्येक बार प्रत्येक बार
4.	धारा 179–आदेशों की अवज्ञा, बाधा डालना और जानकारी देने से इंकार करना।	500	प्रत्येक बार
5.	धारा 180–अप्राधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना ।	500	प्रत्येक बार
6.	धारा 181–धारा 3 या 4 के उल्लंघन में यानों को चलाना (बिना चालक अनुज्ञप्ति आदि के)	500	प्रत्येक बार
7	धारा 182 (1)–चालक अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध । धारा 182 (2)–परिचालक अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध ।	500 200	प्रत्येक बार प्रत्येक बार
8	धारा 183 (1)–तेज गति से चालन करना (धारा 112 में निर्दिश्ट गति सीमा का उल्लंघन) । धारा 183 (2)–धारा 112 में निर्दिश्ट गति सीमा का उल्लंघन कर चालक को वाहन चलाने के लिये प्रेरित करने वाला व्यक्ति ।	500 400	1000 500
9	धारा 184–खतरनाक तरीके से चालन करना ।	1000	2000
10	धारा 186–जब मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए यान चलाया जाता हो ।	300	500
11	धारा 189–दौड़ और गति मुकाबला (राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना)।	1000	प्रत्येक बार
12	धारा 190 (2)–असुरक्षित दशा वाले यान का उपयोग (सड़क सुरक्षा, शोर और वायु प्रदूषण के मानको का उल्लंघन)– (क) दो पहिया यान (ख तीन पहिया आटोरिक्शा एवं टेम्पो (ग) हल्का मोटरयान (घ) मध्यम एवं भारी मोटरयान	 200 400 600 1500	 300 500 1200 2000
13	धारा 191–यान का ऐसी स्थिति में विक्रय या परिवर्तन, जिससे इस अधिनियम का उल्लंघन हो।	500	प्रत्येक बार
14	धारा 192–बिना रजिस्ट्रेशन के यानों का उपयोग करना (क) दो पहिया एवं तिपहिया यान (ख) हल्का मोटरयान (ग) मध्यम एवं भारी मोटरयान	 500 1000 2000	 1000 2000 2500

15	धारा 194 (1)–अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान का चालन एवं अनुज्ञेय भार से अधिक भार पर प्रति टन या उसके भाग के लिए– (1) आधिक्य अनुज्ञेय भार को लदान रहित करने के लिये प्रति किलोग्राम (2) आधिक्य भार को लदान रहित करने के लिये प्रति टन (3) रूकने एवं यान भार आदि कराने से इंकार करना ।	2000 1000 0.50 50 2500	2000 1000 0.50 50 2500
16	धारा 196–बीमा न किये गये यान को चलाना । (क) दो पहिया यान । (ख) अन्य किसी भी प्रकार के मोटरयान	 300 1000	 प्रत्येक बार प्रत्येक बार
17	धारा 198–यान में अनधिकृत हस्तक्षेप ।	200	प्रत्येक बार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, सचिव.

Raipur, the 21st November 2014

NOTIFICATION

R-966/viii-Trans/2014.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 200 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and in supersession of this Department Notification No. F 5-53/TWO/VIII-Trans./02, Raipur, dated 1st May, 2003 (as amended), the State Government, hereby, authorizes to all officer mentioned in list below to compound offences committed within their respective jurisdiction and punishable under Section mentioned in column (2) of the Schedule below for the amount mentioned in the corresponding column (3) and (4) of the said Schedule, namely:-

1. Transport Commissioner
2. Additional Transport Commissioner
3. Joint Transport Commissioner
4. Deputy Transport Commissioner
5. All Assistant Transport Commissioner
6. Senior Regional Transport Officers
7. All Regional Transport Officers
8. All Additional Regional Transport Officers
9. All Assistant Regional Transport Officers
10. All District Transport Officers
11. All Transport Inspectors
12. All Transport Sub-Inspectors

13. All Assistant Transport Sub-Inspectors
14. All District Magistrates
15. All Additional District Magistrates
16. All Sub-Divisional Magistrates
17. All Superintendents of Police
18. All Additional Superintendents of Police
19. All Deputy Superintendents of Police, Sub-Divisional and City Police Officers.
20. All Police Station In-charge
21. All Inspectors of Police, Traffic Branch
22. All Sub-Inspectors of Police, Traffic Branch
23. All Assistant Sub-Inspectors, Traffic Branch

SCHEDULE

S. NO.	SECTIONS OF THE MOTOR VEHICLE ACT, 1988	AMOUNT FOR COMPOUNDING IN RUPEES	
		FOR FIRST OFFENCE	FOR SECOND OR FOR SUBSEQUENT OFFENCES WHENEVER APPLICABLE
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Section 177 General Provision for Punishment of offences-All offences of the Motor Vehicle Act, 1988 and Central Motor Vehicle Rules, 1989 but are not specified in this schedule hereafter.	200	500
	(a) Violation of rule 100 of Central Motor Vehicle Rules, 1989: regarding safety glasses in Motor Vehicle.	2000	3000
	(b) Violation of rule 108 of Central Motor Vehicle Rules, 1989: unauthorized use of red / yellow / blue /white or multi-coloured light on top of motor vehicle.	2000	3000
	(c) Violation of rule 119 of Central Motor Vehicle rules 1989 and sub- rule (3) of rule 185 of the Chhattisgarh Motoryan Niyam 1994: regarding unauthorized use of siren/hooter.	2000	3000
	(d) Violation of Section 129 of the Motor Vehicles Act, 1988, and rule 213 of the Chhattisgarh Motoryan Niyam, 1994: regarding without wearing protective head gear by the drive and pillion rider in the motor cycle.	500	500
2.	Section 178 (1)- Penalty for traveling without pass or ticket in a stage carriage etc.	500	each time

3.	Section 179 (3)- Refusal to ply contract carriage (a) Two wheeled and Three-wheeled motor vehicle (b) in any other types of motor vehicle	 100 500	 each time each time
4.	Section 179- Disobedience of orders, obstruction and refusal of information	500	each time
5.	Section 180- Allowing unauthorized persons to drive vehicles.	500	each time
6.	Section 181- Driving vehicles in contravention of Section 3 or 4 (driving without license etc.)	500	each time
7.	Section 182 (1) - Offences relating to driving licenses. Section 182 (2) - Offences relating to conductor licenses.	500 200	each time each time
8.	Section 183 (1)- Driving at excessive speed (in contravention of the speed limit referred to in Section 112) Section 183 (2)- Person causing driver to drive in contravention of the speed limit referred to in Section 112)	500 400	1000 500
9.	Section 184 Driving dangerously	1000	2000
10.	Section 186- Driving when physically or mentally unfit to drive	300	500
11.	Section 189- Racing. and trials of speed (without written consent of the State Government)	1000	each time
12.	Section 190 (2)- Using vehicle in unsafe condition (violating road safety noise and air pollution standards) (a) Two wheeled vehicle (b) Three wheeled auto-rickshaw and tempo (c) Light motor vehicle (d) Medium and heavy motor vehicle	 200 400 600 1500	 300 500 1200 2000
13.	Section 191- Sale of vehicle in or alteration of vehicle to condition contravening this Act.	500	each time
14.	Section 192- Using vehicle without registration (a) Two wheeled and three wheeled vehicle (b) Light motor vehicle (c) Medium and heavy motor vehicle	 500 1000 2000	 1000 2000 2500
15.	Section 194 (1)- Driving vehicle exceeding permissible weight And For exceeding permissible weight per tone or part there-of. (1) for off - loading : each kilo gram of exceeding permissible weight (2) For off - loading: of the excess load per tone. (3) Refusal to stop and submit the vehicle for weighing etc.	2000 1000 0.50 50 2500	2000 1000 0.50 50 2500

16.	Section 196- Driving uninsured vehicle (a) Two wheeled (b) in any other types of motor vehicle	 300 1000	 each time each time
17.	Section 198- Unauthorized interference with vehicle	200	each time

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ASHOK JUNEJA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.